कौशल कुमार गुप्ता और अन्य

बनाम

जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य

5 अप्रैल, 1984

[डी. ए. देसाई, एः पी. सेन और वी. बालाक्रिष्णा एराडी, न्यायाधिपतिगण]

शैक्षणिक संस्थान- इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश- प्रवेश- मौखिक परीक्षा- मौखिक परीक्षा- 15 अंकों का आवंटन- क्या मनमाना। चयन समिति के सदस्यों और उम्मीदवार के बीच संवाद टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किया गया- प्रक्रिया- क्या उचित और युक्तियुक्त है।

कॉलेज के तीसरे प्रतिवादी- प्रिंसिपल ने एक सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा राज्य में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज में बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए। प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों को एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होना था, जो योग्य थे उन्हें मौखिक परीक्षा में उपस्थित होना था, और चयन लिखित और मौखिक परीक्षा में संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर होना था।

जिन याचिकाकर्ताओं ने आवेदन किया था और उन्हें लिखित परीक्षा में शामिल किया गया था और योग्य होने पर उन्हें मौखिक परीक्षा के लिए

बुलाया गया था। अपनी रिट याचिकाओं में उन्होंने मौखिक परीक्षा के तरीके, पद्धति और निर्धारित अंकों की संख्या को चुनौती दी थी। यह तर्क दिया गया कि मौखिक परीक्षा के लिए 15 अंकों के आरक्षण से मौखिक परीक्षा आयोजित करने वालों को मनमानी, अनियंत्रित और अनियंत्रित शक्ति मिलती है और 15 अंकों का आरक्षण हानिकारक होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों से योग्यता प्रभावित होने की प्रवृत्ति का पता चलता है।

प्रतिवादीगण 1, 2 और 3 की ओर से रिट याचिका का विरोध यह प्रस्तुत करके किया गया था कि चयन समिति के खिलाफ लगाए गए मनमानेपन के किसी भी आरोप से बचने के लिए, मौखिक परीक्षण के लिए निर्धारित 15 अंकों को चार शीर्षकों के तहत विभाजित किया गया था, अर्थात (1) विज्ञान-5 अंक, (ii). सामान्य ज्ञान-4 अंक, (iii) पाठ्यचर्या गतिविधियाँ-3 अंक और (iv) व्यक्तित्व परीक्षण-3 अंक, और चयन समिति ने कार्ड तैयार किए जिनमें से प्रत्येक पर भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और सामान्य ज्ञान के संदर्भ में एक प्रश्न टाइप किया गया था और इन्हें 4 अलग-अलग बक्सों में रखा गया था। जब उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए कमरे में प्रवेश करता था, तो उसे चार बक्सों में से प्रत्येक से यादृच्छिक रूप से एक कार्ड उठाना होता था, प्रत्येक बक्से में 150 कार्ड होते थे और प्रश्न का उत्तर देना होता था। चयन समिति के सदस्यों और साक्षात्कार के लिए आने वाले अभ्यर्थी के सामने टेबल पर टेप रिकॉर्डर रखा गया और

दोनों तरफ से हुई बातचीत को पूरा रिकॉर्ड किया गया। उत्तर की गुणवत्ता के आधार पर मौखिक परीक्षा के प्रत्येक शीर्षक के तहत अंक निर्धारित किए गए थे। उसके बाद,. लिखित और मौखिक परीक्षा में कुल प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की गई थी।

प्रकरण को खारिज और स्थानांतरित करते हुये, अभिनिर्धारित किया:

योग्यता, सबसे वैज्ञानिक विधि द्वारा सुनिश्चित की गई है जिसे योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों के चयन के लिए लागू किया जा सकता है जिससे किसी भी मध्यस्थ विकल्प के लिए कोई जगह नहीं बचती है। जो मौखिक परीक्षा आयोजित की गई वह निष्पक्ष, मनमानी के आरोप से मुक्त, तर्कसंगत और न्यायसंगत थी। [410 एफ]

वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने अजय हस्ता आदि बनाम खालिद मुजीब सेहरावर्दी और अन्य [1981] 2 एससीआर 79 आदि में बताई गई कुछ कमी और कमियों को व्यावहारिक रूप से शून्य कर दिया है, को धारण करने के तरीके में मौखिक साक्षात्कार और उसमें दिए गए अंक। उत्तरदाताओं ने मनमानी के किसी भी आरोप से बचने के लिए मौखिक परीक्षा के लिए दिए गए अंकों को कम कर दिया, प्रश्नों को पहले से तैयार करके उन्हें बक्सों में रख दिया और अभ्यर्थी को अपना प्रश्न उठाकर उसका उत्तर देने में परेशानी हुई। उत्तर का रिकॉर्ड अभ्यर्थी की अपनी आवाज़ में रखा गया था। [410 जी-411 बी]

मूल क्षेत्राधिकार: रिट याचिका संख्या 8964/1982।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

साथ

स्थानांतरण प्रकरण संख्या 13-15/1984

अनिल देव सिंह, सुभाष शर्मा एवं एस.के. सभरवाल, याचिकाकर्ताओं के लिए।

जी.एल. सांघी और अल्ताफ अहमद, उत्तरदाताओं के लिए।

स्थानांतरण प्रकरण संख्या 13-15/1984 में के.आर.आर. पिल्लई, याचिकाकर्ता के लिए।

न्यायालय का निर्णय देसाई, न्यायधिपति द्वारा सुनाया गया।

24 जनवरी 1984 को रिट याचिका और स्थानांतरित मामलों की सुनवाई के समापन पर, अदालत ने रिट याचिका और स्थानांतरित मामलों को खारिज करने का आदेश सुनाया, और कहा कि कारण बाद में बताए जाएंगे। पर। यहाँ कारण हैं।

विवाद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, रिट याचिका संख्या 8964 / 1982 में कथित तथ्यों को सभी संबद्ध मामलों में आरोपों के प्रतिनिधि के रूप में लिया जा सकता है।

इस याचिका में नौ याचिकाकर्ताओं ने श्रीनगर के क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में 1982-83 सत्र के लिए बैचलर डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश की वैधता और शुद्धता पर सवाल उठाया, साथ ही उत्तरदाताओं संख्या 5 से 13 के प्रवेश को रद्द करने की प्रार्थना की और यह निर्देश देने की मांग की कि याचिकाकर्ताओं को उसी सत्र में प्रवेश दिया जाए।

जम्मू और कश्मीर राज्य के श्रीनगर में एक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया है। तीसरे प्रतिवादी, कॉलेज के प्रिंसिपल ने 13 मार्च, 1982 को एक सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा न केवल क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, श्रीनगर में बल्कि ग्यारह क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में 1982-83 सत्र के लिए बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विभिन्न राज्यों में आवेदन आमंत्रित किए। प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। उन्हें (i) चार पेपरों में एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होना आवश्यक था। भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी; (ii) लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा देनी होगी; (iii) चयन लिखित और मौखिक परीक्षा में संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर होना था; और (iv) निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटें भी दिखाई गईं। इस विज्ञापन के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने आवेदन किया और उन्हें लिखित परीक्षा में शामिल किया गया और योग्य पाए जाने पर उन्हें मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया गया। चुनौती मौखिक परीक्षा के तरीके, पद्धति और

निर्धारित अंकों की संख्या को लेकर है। मोटे तौर पर कहा गया है, आरोप यह थे कि मौखिक परीक्षा के लिए 15 अंक आरक्षित करने से मौखिक परीक्षा आयोजित करने वालों को मनमानी, अनियंत्रित और अनियंत्रित शक्ति मिलती है और लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों से प्रकट हुई योग्यता को प्रभावित करने की गंभीर प्रवृत्ति से मौखिक परीक्षा के लिए 15 अंक आरक्षित करने से मौखिक परीक्षा आयोजित करने वालों को नुकसान होगा। अन्य आरोप भी थे जो परीक्षा के गुणावगुण पर नहीं हैं।

नियम निसी जारी होने पर, उत्तरदाता संख्या 1 से 3 उपस्थित हुए और एक डॉ. ओ.एन. कौल, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, श्रीनगर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग (सत्र 1982-83 के लिए समन्वयक प्रवेश) के प्रमुख ने कॉलेज के प्रिंसिपल की ओर से विरोध में एक हलफनामा दायर किया। यह बताने के बाद कि लिखित परीक्षा के लिए 85 अंक और मौखिक परीक्षा के लिए 15 अंक निर्धारित थे, यह भी बताया गया कि चयन समिति के खिलाफ मनमानेपन के किसी भी आरोप से बचने के लिए मौखिक परीक्षा के लिए निर्धारित 15 अंक को और विभाजित कर दिया गया। -चार शीर्षों के अंतर्गत, अर्थात्, (i) विज्ञान -5 अंक (ii) सामान्य ज्ञान -4 अंक (iii) पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियाँ -3 अंक और (iv) व्यक्तित्व परीक्षण -3 अंक। यह बताया गया कि अंततः कुल 100 अंकों में से, केवल 3 अंक व्यक्तित्व परीक्षण के लिए निर्धारित किए गए थे और यह वह क्षेत्र है जहां यदि बिल्कुल भी; विवेक का प्रयोग किया जा सकता है

जिसकी किसी भी मामले में दस्तावेजी साक्ष्य पर समीक्षा नहीं की जा सकती। तीन अन्य शीर्षों के संबंध में, यह बताया गया कि चयन समिति ने कार्ड तैयार किए, जिनमें से प्रत्येक पर 4 विषयों, अर्थात् भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और सामान्य ज्ञान के संदर्भ में एक प्रश्न टाइप किया गया था, और उन्हें 4 अलग-अलग बक्सो में रखा गया था। जब उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए कमरे में प्रवेश करता था, तो उसे चार बक्सों में से प्रत्येक से यादृच्छिक रूप से एक कार्ड चुनना होता था, प्रत्येक बक्से में कम से कम 150 कार्ड होते थे और प्रश्न का उत्तर देना होता था। चयन समिति के सदस्यों और साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी के सामने मेज पर एक टेप रिकॉर्डर रखा गया था और दोतरफा संवाद की पूरी रिकॉर्डिंग की गई थी। उत्तर देने वाले की योग्यता के आधार पर मौखिक परीक्षा के प्रत्येक शीर्षक के तहत अंक दिए गए थे। इसके बाद, लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की गई और आरक्षित सीटों को छोड़कर जहां आरक्षित सीटों पर प्रवेश चाहने वाले व्यक्तियों को भी योग्यता सूची के अनुसार खड़ा होना पड़ा, उन्हें बचाने के लिए इसका सख्ती से पालन किया गया।

इन याचिकाओं की सुनवाई में, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने न्यायालय के समक्ष वे कार्ड पेश किए जिन पर प्रश्न टाइप किए गए थे, कैसेट और एक टेप रिकॉर्डर। उन्होंने प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के साथ पूरी

मेरिट सूची भी तैयार की। -अदालत ने बेतरतीब ढंग से उन्हें यह बताने का निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं में से एक उम्मीदवार ने कौन सा कार्ड उठाया था और फिर वह कैसेट बजाएं जिस पर उसका साक्षात्कार टेप किया गया था। इस प्रदर्शन के दौरान याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील और कुछ याचिकाकर्ता उपस्थित थे। हम इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हैं कि इस मामले में योग्यता को सबसे अधिक वैज्ञानिक पद्धति से सुनिश्चित किया गया है, जिसे योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करने के लिए लागू किया जा सकता है, जिससे किसी भी मनमाने विकल्प के लिए कोई जगह नहीं बचती है।

लिखित परीक्षा को कोई चुनौती नहीं दी गई और लिखित परीक्षा के लिए 85 अंक निर्धारित किए गए। अजय हरिया आदि बनाम खालिद मुजीब सेहरावर्दी और अन्य आदि में जिसमें "वर्ष 1979-80 के लिए इसी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश को चुनौती दी गई थी, इस न्यायालय ने देखा कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि, मौखिक साक्षात्कार परीक्षा और शर्तों में कमियों और कमियों को ध्यान में रखते हुए देश में व्याप्त है, खासकर जब, नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है और भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद बहुत बढ़ रहा है, लिखित परीक्षा के लिए आवंटित अंकों की तुलना में मौखिक साक्षात्कार के लिए उच्च प्रतिशत अंकों का आवंटन, न्यायालय द्वारा इसे मनमानेपन के दोष से मुक्त नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला

कि मौजूदा परिस्थितियों में, मौखिक साक्षात्कार के लिए कुल अंकों का 15% से अधिक का आवंटन मनमाना और अनुचित होगा और इसे 'संवैधानिक रूप से अमान्य' करार दिया जा सकता है।

उत्तरदाताओं ने न्यायालय की इन टिप्पणियों से लाभ उठाया और मौखिक परीक्षा के लिए निर्धारित अंकों को घटाकर 15 कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि इस न्यायालय द्वारा मौखिक साक्षात्कार आयोजित करने के तरीके और दिए गए अंकों में कुछ कमियां और कमियां बताई गईं। इस पर, उत्तरदाताओं ने अंकों को चार शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया और कम से कम तीन के संबंध में, टेप पर रिकॉर्ड किए गए प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं जो दिखाते हैं कि उम्मीदवार ने कैसा प्रदर्शन किया है। और जहां तक खतरनाक व्यक्तित्व परीक्षण की बात है, तो निर्धारित अंक केवल 3 हैं। सुनवाई के दौरान हमारे सामने एक भी ऐसा मामला नहीं आया जिसमें उम्मीदवार योग्यता के आधार पर प्रवेश के लिए पात्र था, लेकिन व्यक्तित्व परीक्षण के तहत कुछ अंक प्राप्त करने में असमर्थता के कारण उसे खो दिया, अधिकतम केवल 3 अंक थे। यह प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का श्रेय है कि कैसे उन्होंने मनमानी के किसी भी आरोप से बचने के लिए मौखिक परीक्षा के लिए निर्धारित अंकों को कम कर दिया, उन्हें अलग-अलग शीर्षकों के तहत विभाजित कर दिया और यहां तक कि पूछे जाने वाले प्रश्नों के संबंध में भी मौखिक परीक्षा में प्रश्न पहले से तैयार किए जाते थे, उन्हें बक्सों में तैयार रखा जाता था और उम्मीदवार को अपना प्रश्न

स्वयं उठाकर उसका उत्तर देना होता था। उत्तर का रिकॉर्ड अभ्यर्थी की अपनी आवाज में रखा जाता है। हमें इस बात की सराहना करनी चाहिए कि उत्तरदाताओं संख्या 1 से 3 ने व्यावहारिक रूप से मौखिक साक्षात्कार में कोई कमियां और कमियां नहीं बताईं, जैसा कि इस न्यायालय ने बताया है। आयोजित मौखिक परीक्षा को निष्पक्ष, मनमानेपन के आरोप से मुक्त, तर्कसंगत और उचित माना जाना चाहिए।

निःसंदेह, किसी भी मनमानी या अनुचित बात पर नाराजगी व्यक्त करने वाली न्यायालय की अपेक्षा ने 'चयन समिति' के कार्यभार को बढ़ा दिया है। लेकिन आज जब सीज़र की पत्नी की तरह इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए भीड़ है, तो चयन वस्तुनिष्ठ और निंदा से परे होना चाहिए। इस मामले में यह वैज्ञानिक रूप से हासिल किया गया है। हम आशा करते हैं कि प्रवेश के लिए योग्यता सुनिश्चित करने के कठिन कार्य की जिम्मेदारी संभाले गए निकाय उत्तरदाताओं संख्या 1 से 3 द्वारा किए गए कार्यों से प्रेरणा लेंगे और इस क्षेत्र में उनके द्वारा प्रदान किए गए नेतृत्व से सिस्टम में युवा उम्मीदवारों का विश्वास बहाल होगा। इसलिए, न्यायालय ने रिट याचिका खारिज करता है और प्रकरणो को स्थानांतरित किया जाता है।।

एन.वी.के.

याचिकाएं और स्थानांतरण प्रकरण खारिज किये जाते है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यो के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।